भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1788

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2025

उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत निधि आवंटन

1788. श्री राजीव राय:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या मऊ और बलिया जिलों को पीएमजेवीके के दायरे में शामिल किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-सी परियोजनाएं प्रस्तावित या स्वीकृत हैं;

(ग) पीएमजेवीके के अंतर्गत केन्द्र और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच निधियों के बंटवारे की पद्धति का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितना निधि आवंटन और व्यय किया गया है;

(घ) मऊ और बलिया जिलों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में पीएमजेवीके कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना की व्यवहार्यता को समझने के लिए कोई प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) देश भर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल और आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक मांग आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वार्षिक धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है।

(ख) संशोधित पीएमजेवीके दिशानिर्देशों के तहत, यह योजना देश भर के सभी जिलों में लागू की जा सकती है। उन क्षेत्रों में परियोजनाएं प्रस्तावित की जा सकती हैं जहां 15 किमी के दायरे में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक

है। अभी तक बलिया जिले के लिए निर्धारित माध्यम से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मऊ जिले के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच निधि साझाकरण पद्धति निम्नानुसार है:

60:40 - सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए।
90:10 - पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर।
100% केंद्रीय हिस्सेदारी - बिना विधानमंडल वाले सभी संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र सरकार के संगठन।

पीएमजेवीके मांग-संचालित होने के कारण राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी की गई धनराशि का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) पीएमजेवीके सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। इन निर्मित परिसंपत्तियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मऊ और बलिया सहित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रहने वाली पूरी आबादी को लाभ हुआ।

(ङ) नीति आयोग द्वारा किए गए एक मूल्यांकन अध्ययन (2020-21) में पाया गया कि पीएमजेवीके ने चिन्हित क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, कौशल विकास और महिला केंद्रित बुनियादी ढांचे में विकास संबंधी असमानताओं को कम करने में मदद की है। 2018-19 में पुनर्गठित इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के तहत 2022-23 से सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी।

अनुबंध-I

"उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत निधि आवंटन" के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 10.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1788 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजेवीके के तहत मऊ जिले के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत इकाईयों की संख्या	अनुमोदित कुल लागत (लाख रु. में)	अनुमोदित केंद्रीय हिस्सेदारी (लाख रु. में)	जारी की गई कुल निधि (लाख रु. में)
1	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप /सामुदायिक हॉल	1	234.00	140.40	42.12
2	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	1	150.00	90.00	45.00
3	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	3	2200.57	1320.3	1038.171
		5	**2584.57**	**1550.70**	**1125.291**

अनुबंध-II

"उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत निधि आवंटन" के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 10.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1788 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजेवीके के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि का विवरण।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई कुल निधि (करोड़ रु. में)
1	2020-21	98.32
2	2021-22	7.37
3	2022-23	_
4	2023-24	35.00
5	2024-25	_
6	2025-26	250.00